न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 360/तीन–1993 विरूद्व आदेश दिनांक 31–73–1993 – पारित – अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर –प्रकरण कमांक 22 अ 6/1992–93 अपील

धम्पू पुत्र गबूले निवासी ग्राम नेंगुवा
तहसील नौगॉव जिला छतरपुर म0प्र0 ———आवेदक

विरूध्द

1– रामा (मृतक) पुत्र बंशी ढीमर
वारिस
(अ) कन्हैयालाल पुत्र रामा ढीमर
ग्राम नैगुवॉ तहसील नौगॉव जिला छतरपुर
(ब) श्रीमती जानकी पुत्री रामा ढीमर पत्नि लले
निवासी मुढारी तहसील कुलपहाड
जिला महोवा उत्तरप्रदेश
(स) श्रीमती मक्कू पुत्री रामा पत्नि रामलाल ढीमर
निवासी कूड़ई तहसील कुलपहाड़
जिला महोवा उत्तरप्रदेश
(द) श्रीमती बेनी वाई पुत्री रामा पत्नि दिल्लू ढीमर
निवासी भीजन तहसील नौगॉव जिला छतरपुर
(इ) श्रीमती किशोरी पुत्री रामा पतिन दिल्लू ढीमर
निवासी छिरवाअ तहसील कुलपहाड़
जिला महोवा उत्तरप्रदेश
2– हज्जू पुत्र बंशी निवासी ग्राम नैगुवॉ
तहसील नौगांव जिला छतरपुर ———अनावेदकगण

आवेदक के अभिभाषक श्री सुरेन्द्र भटट्
अनावेदक के वारिसानों के अभिभाषक सूचना उपरांत अनुपस्थित

आदेश

(आज दिनांक 14-7 – 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 22 अ 6/1992–93 अपील में पारित आदेश दिनांक 31.3.1993 के

विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 (आगे जिसे संहिता अंकित किया गया है) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम नैगुवॉ स्थित भूमि सर्वे कमांक 201, 204 ,209, 925,927,929,932,943,1007,1060,1379,1383,1411,1468,1471, 1489,940,1070,1071,1072,1073,1074,1077,1079,1080,1081 कुल किता 26 कुल रकबा 6.526 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) आवेदक एंव अनावेदकगण के सामिलाती खाते की भूमि है। ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 7 पर प्रविष्टि दिनांक 1–7–90 से आदेश दिनांक 28–7–1990 व्दारा उभय पक्ष के बीच बटवारा कर दिया गया। आवेदक ने इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, के समक्ष पर अपील प्रस्तुत की, कि अपीलांट के फर्जी निशानी अॅगूठा लगाकर अच्छी किस्म की भूमि अनावेदकगण ने अपने नाम करा ली एंव उसे बटवारे की सूचना नहीं दी। बटवारा आदेश दिनांक 28–7–90 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी नौगॉव के समक्ष दिनांक 27–5–91 को अपील की गई तथा अपील मेमो के संलग्न अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 48/91–92 अपील में पारित आदेश दिनांक 23–6–92 से अपील बेरूम्याद मानकर निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील कमांक 22 अ 6/1992–93 प्रस्तुत हुई जो 03 दिन के विलम्ब से प्रस्तुत होने के आधार पर आदेश दिनांक 31.3.1993 से निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये। अनावेदक कमांक 1 के उत्तराधिकारियों के अभिभाषक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहे। अनावेदक कमांक–2 को बार–बार सूचना पत्र भेजे जाने एंव रजिस्टर्ड डाक से सूचना पत्र भेजे जाने के उपरांत भी वह

अनुपस्थित रहा है । प्रकरण वर्ष 1993 से लम्बित है अतएव न्यायदान की दृष्टि से मामले का निराकरण गुणदोष के आधार पर किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने अपील को 03 दिवस के विलम्ब के आधार पर निरस्त किया है तथा अनुविभागीय अधिकारी, नौगॉव ने ग्राम की नामान्तरण पंजी पर दिये गये बटवारा आदेश दिनांक 28–7–90 के विरूद्व 27–5–91 को अर्थात लगभग आठ माह अठठाईस दिवस के विलम्ब के आधार पर अपील को बेरूम्याद मानकर निरस्त की है। विचार योग्य है कि क्या दोनों न्यायालयों के आदेशों के निष्कर्ष विधि–सम्मत हैं ? अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने आदेश में अंकित किया है कि 03 दिवस के विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु समुचित कारण नहीं बताया है। अपर आयुक्त के समक्ष अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में आवेदक ने बताया है कि अनुविभागीय अधिकारी ने तर्क सुनने के वाद प्रकरण बिना तिथि नियत किये आदेश को रख गया, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 23–6–92 की सूचना उसे नहीं हुई। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 48/90–91 अपील की आर्डरशीट दिनांक 22–4–92 इस प्रकार है :–

" उभय पक्षों के विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने गये । आदेशार्थ । "

प्रकरण में आदेश हेतु कोई तिथि अंकित नहीं है तथा इस आर्डरशीट के पीठ पृष्ठ पर 23–6–92 को आदेश पारित करने का अंकन है केवल एक पक्ष के अभिभाषक को यह आदेश 22–7–92 को टीप कराया गया है।

1. भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.)–धारा 47 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5 – पर्याप्त कारण होने से न्यायालय बैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग कर विलम्ब क्षमा कर सकता है– उद्घोषणा तथा समन विधि के अनुसरण में नहीं होने पर विलम्ब माफ किया जायेगा।

2. परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5 एंव भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.) –धारा 47 – सामान्यतः तकनीकी आधार पर मामले के गुणागुण की उपेक्षा नहीं की जाना चाहिये एंव पर्याप्त कारण पाये जाने पर उदार–रूख अपनाया जाकर विलम्ब क्षमा करना चाहिये।

उपरोक्त स्थिति में अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन के तथ्यों पर अविश्वास करते हुये अपर आयुक्त , सागर संभाग, सागर ने मात्र 03 दिवस का विलम्ब क्षमा न करते हुये आवेदक को न्याय से बंचित किया है जिसके कारण अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 31–3–93 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्ती योग्य है।

अनुविभागीय अधिकारी नौगॉव ने बटवारा आदेश दिनांक 28–7–90 के विरूद्व 27–5–91 को अपील प्रस्तुत होने से अर्थात लगभग आठ माह अठठाईस दिवस के विलम्ब के आधार पर अपील बेरूम्याद मानकर निरस्त की है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी नौगॉव के समक्ष अपील प्रकरण कमांक 48/91–92 में आवेदक ने अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन प्रस्तुत कर बताया है कि उसे बटवारा कार्यवाही की कोई सूचना नहीं दी गई, उसके व्दारा बटवारे हेतु कोई सहमति नहीं दी गई, जब 1–4–91 को अनावेदक ने आवेदक की जमीन पर स्वत्व बताया तब नामान्तरण की सही जानकारी का पता लगाने एंव 24–5–91 को नामान्तरण पंजी की नकल मिलने एंव 26–5–91 को अवकाश होने पर 27–5–91 को अपील पेश की है। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 23.6.92 में निशानी अॅगूठा के फर्जी होने के तथ्य को बिना प्रमाणीकरण के असिद्व निरूपित करते हुये अपील को बेरूम्याद माना है। अपीलीय न्यायालय होने के नाते अनुविभागीय अधिकारी का दायित्व था कि अपील बेरूम्याद मानकर निरस्त करने के पूर्व स्वयं् के स्तर से अंगूठे की जांच कर वास्तविकता की तह में पहुंचना था किन्तु उन्होंने ऐसा न करते हुये सरसरी तौर पर अपील को बेरूम्याद मानने एंव आवेदक व्दारा दिये गये शपथ के विवरण को सही नहीं में भूल की है जिसके कारण उनके द्वारा

पारित आदेश दिनांक 23.6.92 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ निगरानीकर्ता वर्ष 1992 से न्याय की प्रत्याशा में है और राजस्व मण्डल में 25–5–1993 से पुनरीक्षण लम्बित है जिसके कारण पुनरीक्षण प्राधिकारिता की शक्तियों के अधीन संपूर्ण मामले की तह में जाकर प्राकृतिक न्याय की ओर देखना होगा और तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में क्या क्या कमियॉ हैं – न्याय विफल न हो – इस उद्देश्य से पक्षकारों के हित देखे जाना है।

1. अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के अपील प्रकरण कमांक 22 अ 6/1992–93 में आवेदक व्दारा दिया गया अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी, नौगॉव के प्रकरण कमांक 48/90–91 अपील में में आवेदक व्दारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया जाता है।
2. उपरोक्त पद 4 में की गई विवेचना अनुसार अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर का आदेश दिनांक 31.3.1993 त्रृटिपूर्ण आधारों पर आधारित होने से निरस्त है।
3. उपरोक्त पद 4 में की गई विवेचना अनुसार अनुविभागीय अधिकारी, नौगॉव का आदेश दिनांक 23.6.1992 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त है।

6/ ग्राम नैगुवॉ पटवारी हलका नबर 93 की नामानतरण पंजी के सरल कमांक 7 पर पटवारी व्दारा की गई प्रविष्टि दिनांक 1.7.90 के अवलोकन पर पाया गया कि पटवारी ने प्रविष्टि उपरांत बटवारा कार्यवाही के सम्बन्ध में ग्राम में इस्तहार का प्रकाशन नहीं कराया है और न ही ग्राम में मुनादी कराई है ग्राम पंचायत को भी बटवारा कार्यवाही की सूचना नहीं दी । बटवारे हेतु न तो फर्द बनाई गई है और न ही फर्द का प्रकाशन कराया है। नामान्तरण पंजी पर केवल चार निशानी अॅगूठा लगे हैं जिसमें से एक अंगूठे के उत्पर धप्पू लिखा गया है जबकि धप्पू आवेदक ने इसे फर्जी होना बताया है और तहसीलदार ने पटवारी व्दारा नामान्तरण पंजी में बटवारे हेतु की गई प्रविष्टि

को आदेश दिनांक 28.7.90 से प्रमाणित कर दिया है। विचार योग्य है कि क्या नामान्तरण पंजी पर बटवारा कार्यवाही करना नियमानुकूल है ?

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 178 – विभाजन सूची पटवारी ने नामांत्रण पंजी में अंकित की। हितबद्व व्यक्तियों पर प्रकाशित नहीं की। फर्द का प्रकाशन नहीं कराया गया – आपत्तियॉ आमंत्रित नहीं की गई। फर्द पर सभी पक्षों की सहमति के हस्ताक्षर नहीं लिये– ऐसा बटवारा आरंभ से ही अवैध है।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 17[illegible] विभाजन का आदेश – नामान्तरण पंजी पर दिया गया – ऐसा आदेश [illegible] नियमों के विरूद्व होने से अकृत एंव शून्यवत् है। नामान्तरण पंजी पर बटवारा आदेश नहीं दिया जा सकता।

स्पष्ट है कि तहसीलदार व्दारा ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 7 पर पटवारी व्दारा की गई प्रविष्टि दिनांक 1.7.90 को आदेश दिनांक 28–7–1990 से पुष्ट कर बटवारा कार्यवाही को अंतिमता प्रदान करने की त्रृटि करने से उनके व्दारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 22 अ 6/1992–93 अपील में पारित आदेश दिनांक 31.3.1993 एंव अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 48/91–92 अपील में पारित आदेश दिनांक 23–6–92 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। साथ ही तहसीलदार व्दारा ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 7 पर आदेश दिनांक 28–7–1990 से किया गया बटवारा निरस्त किया जाकर भूमि पूर्व की स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तद्नुसार निगरानी स्वीकार की जाती है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर